अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

सेवा अपील वाद संख्याः– 292/2013

मीरा कुमारी –– अपीलार्थी

वनाम

राज्य एवं अन्य –– रेस्पाण्डेन्ट्स

–::आदेश::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता के द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा के आदेश दिनांकः 28.05.2013 ई० के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि ग्राम पंचायत– शाहपुर के आंगनबाड़ी संख्याः 40 में दिनांकः 27.07.2010 को आम–सभा का आयोजन किया गया था। ग्राम पंचायतः शाहपुर की मुखियाः श्रीमति कंचन देवी एवं चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता एवं उम्मीदवारों की उपस्थिति में उक्त आम–सभा का आयोजन किया गया था। तीन अभ्यर्थियों क्रमशः मीरा कुमारी पतिः–पंकज साह, समर देवी, पतिः–रविन्द्र राम एवं नीलू कुमारी पतिः–सुनील कुमार के द्वारा आशा कार्यकर्त्ता के पद हेतु आवेदन किया गया। उक्त आवेदनों की जॉच मुखिया एवं चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा की गई। मुखिया द्वारा इसकी सूचना आम लोगो की भी दी गई। खुली आम सभा में मीरा कुमारी पतिः–पंकज साह को पंचगछिया के केन्द्र संख्याः 40 के लिए आशा कार्यकर्त्ता के रूप में चयनित किया गया।

अपीलार्थी का यह भी कथन है कि पंचगछिया के उक्त केन्द्र संख्याः 40 के आशा कार्यकर्त्ता के पद पर अपीलार्थी मीरा कुमारी का चयन दिनांकः 27.07.2010 को खुली आम–सभा में जनता एवं सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति में चयन प्राधिकार द्वारा नियमानुसार किया गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन में आगे उनका यह भी कथन है कि चयन होने के बाद चयन प्राधिकार द्वारा उनके पत्रांकः 77311 दिनांकः 18.10.2011 द्वारा अपीलार्थी मीरा कुमारी को चयन संबंधी पत्र हस्तगत कराया

गया।

अपीलार्थी का आगे यह भी कथन है कि चयन के उपरांत उन्हें दिनांकः 16.12.2011 से 23.12.2011 तक प्रशिक्षण हेतु भेज दिया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांकः 16.12.2011 से 23.12.2011 तक प्रशिक्षण प्राप्त किया गया एवं प्रशिक्षणोपरांत उन्हें तत्संबंधी प्रमाण प्राप्त हुआ। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने अपने पदस्थापन स्थान में योगदान कर कार्य प्रारंभ किया।

अपीलार्थी द्वारा आगे यह कहा गया है कि अपीलार्थी 9वीं कक्षा उत्तीर्ण है। उपरोक्त केन्द्र पर कार्यरत रहने के दौरान ही उनके द्वारा पंजाब नेशनल बैंक में एक खाता खुलवाया गया।

अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि रविन्द्र राम के द्वारा अपीलार्थी मीरा कुमारी के चयन के विरूद्ध परिवाद पत्र दाखिल किया गया जिसपर मामले की जॉच की गई तदोपरांत समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा बिना किसी सुनवाई एवं स्पष्टीकरण निर्गत किये ही अपीलार्थी का चयन निरस्त कर दिया गया जो कि विधि संगत प्रतीत नहीं होता है।

सुनवाई के क्रम में सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि निम्नन्यायालय के स्तर पर ग्राम पंचायत शाहपुर, ग्राम – गोबरगढ़ा वार्ड नं0– 8 प्रखंड सत्तर कटैया में आशा कार्यकर्त्ता के चयन में अनियमितता के संबंध में श्री रबिन्द्र राम का परिवाद पत्र के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्तरकटैया से जॉच कराया गया है एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के अनुसार निम्न न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई भी की गयी है। प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं सुनवाई के उपरांत यह तथ्य उजागर हुआ कि आशा कार्यकर्त्ताओं के चयन में विभागीय निदेशों की अनदेखी की गई है। वर्णित स्थिति में जिला पदाधिकारी जो आशा के चयन को निरस्त करने का सक्षम प्राधिकार है, के द्वारा ग्राम पंचायत शाहपुर ग्राम गोबरगढ़ा, वार्ड नं0 08 प्रखंड सत्तरकटैया में आशा कार्यकर्त्ता के रूप में चयनित श्रीमती मीरा देवी का चयन निरस्त किया गया है, जो सही है। जिला पदाधिकारी द्वारा आशा के चयन को निरस्त करने के उपरान्त प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र द्वारा पन्द्रह दिन में आम सभा बुलाकर पुनः आशा का चयन दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए किया जाना है। इसमें अपील का कोई प्रावधान नहीं है।

अपीलार्थी के विद्य अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्रीमती मीरा कुमारी का चयन आशा कार्यकर्त्ता के रूप में विभागीय अनुदेशों का अनदेखी कर किया गया है जिसे सक्षम प्राधिकार जिला पदाधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के तत्वधान में जिला स्वास्थ्य समिति के तहत ''आशा'' के चयन संबंधित मार्गदर्शिका के अनुसार आशा कार्यकर्त्ता को सरकारी सेविका नहीं बल्कि महिला स्वयंसेविका माना गया है। चयन रद्द होने के कारण इनके अपील सुनने का प्रावधान बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली–1955 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली –1955 के नियम 2 एवं 3 के तहत यह वाद इस न्यायालय में सम्पोषनीय नहीं है। वर्णित स्थिति में अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा